

बच्ची से बलात्कार की कोशिश करने वाले को उम्रकैद

मुरैना, 29 जून (जनसत्ता)। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश लखन लाल गर्ग ने छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश करने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक इससे पहले दिल्ली में हत्या और बलात्कार के जुर्म में दस साल की सजा काट चुका है।

काजी बसई गांव के महेश कुशवाह ने 6 नवंबर 2015 गांव के हैडपंप पर खेल रही छह साल की बच्ची को गांव के पास के जंगल में बेर खिलाने के बहाने

अपने साथ ले गया था। शाम चार बजे गायब हुई बच्ची को उसके परिवार वालों ने छह बजे से खोजना शुरू किया। गांव के एक बच्चे ने बताया कि उसने महेश के साथ बच्ची को जंगल की तरफ जाते देखा था। रात लगभग नौ बजे लोग खोजते हुए जब जंगल में पहुंचे तो वहां उन्हें महेश से साथ बच्ची मिल गई। बच्ची के परिवारवालों ने थाना मातावसैया में महेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया।